न्यायालय : जिला न्यायाधीश धौलपुर

इजराय सं. 07/2001

कृष्ण कुमार बनाम राजस्थान सरकार

दिनांक : 09.10.2025

अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। मद्यून की ओर से राजकीय अभिभाषक ने निवेदन किया कि कृष्ण कुमार अग्रवाल, मोहन लाल अग्रवाल व रमेश चंद्र अग्रवाल के नाम से बैंक से अभी डी डी बनकर नहीं आया है व डी डी बनवाकर पेश करने हेतु समय चाहा।

गत पेशी पर इजराय पर बहस सुनी जा चुकी है अतः इस आदेश द्वारा डिक्रीदार की ओर से प्रस्तुत इजराय प्रार्थना पत्र दिनांकित 11.04.01 का निस्तारण किया जा रहा है।

डिक्रीदार की ओर से यह इजराय प्रकरण आर्बीट्रेटर द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 31.10.200, एवं तत्संबंधी आदेश दिनांक 06.01.2001, जिसकी इजराय इस न्यायालय के आदेश दिनांक 23.06.2001 द्वारा निस्तारित करते हुए मद्यून को अपने बैंक खाता में 16 लाख रूपये जमा रखने का आदेश दिया गया व उसके उपरांत इस न्यायालय के आदेश 14.08.01 के द्वारा निस्तारित करते हुए डिकीदार को पन्द्रह लाख, एक हजार नौ सौ चौहत्तर रूपये की राशि प्राप्त करने का अधिकारी माना गया है।

तदोपरांत इस न्यायालय के आदेश दिनांक 14.08.01 की मद्यून द्वारा अपील माननीय राज. उच्च न्यायालय में एस बी सिविल मिस. अपील सं. 1471/2001, व स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 2438/2001 प्रस्तुत किया गया जिसमें माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ द्वारा प्रकरण में स्थगन आदेश पारित किया जाकर मद्यून को पन्द्रह लाख, एक हजार नौ सौ चौहत्तर रूपये की राशि की पचास प्रतिशत राशि न्यायालय में जमा कराने के लिए आदेश दिया गया व उसके उपरांत दिनांक 06.09.16 को माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज कर दी गयी व उसके उपरांत उक्त अपील माननीय राज. उच्च न्यायालय में दिनांक 01.02.2017 को पुर्नस्थापित की गयी व दिनांक 07.09.2022 को उक्त अपील माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है। जिस पर मद्यून द्वारा दिनांक 24. 05.2023 को सात लाख उडन्चास हजार नौ सौ सत्तासी रूपये की राशि जरिये डी डी न्यायालय में जमा करायी गयी।

उसके उपरांत अधिवक्ता डिकीदार द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 28. 10.2024 को इस न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि उक्त उनवानी प्रकरण में डिक्रीदार हैं राशि 15,01974/–रूपये की वसूली हेतु उक्त उनवानी इजराय न्यायालय में पेश की गई थी जो कि मूल डिक्री राशि 863024/–आठ लाख तिरेसठ हजार चौबीस रूपए रूपये एवं उस पर देय 18 प्रतिशत ब्याज राशि दिनांक 20.04.1986 से दिनांक 30.05.1987 तक 18 प्रशित की दर से ब्याज राशि 39633/– रूपये एवं दिनांक 31.05.1987 से 10.04.2001 तक 18 प्रतिशत की दर से ब्याज राशि 599317/– रूपये इस प्रकार कुल राशि 1501974/– पन्द्रह लाख एक हजार नौ सौ चौहत्तर रूपये की वसूली हेतु इजराय न्यायालय श्रीमान् में पेश की गई है। उक्त राशि में से आधी राशि मदयून द्वारा 750987/–सात लाख पचास हजार नौ सौ सतासी

09/10/2025

जिला न्यायाधीश
धौलपुर (राज0)

रूपये जरिये चैक संख्या 574754 दिनांक 11.10.2001 को न्यायालय में पूर्व में जमा करा दी गई। जो कि मूल डिक्री राशि 863024/– आठ लाख तिरेसठ हजार चौबीस रूपए रूपये में से 50: प्रतिशत राशि 4,31,512/– चार लाख इकत्तस हजार पाँच सौ बारह रूपए तथा ब्याज राशि 638950/ छः लाख अॅडतीस हजार नौ सौ पचास रूपए में से 50 प्रतिशत मदयून पर, 3,19,475/–रूपये तीन लाख उन्नीस हजार चार सौ पिचहत्तर रूपये, इस प्रकार राशि 4,31,512 + 319475 = 750987/– रूपये जमा करए गए। तथा मूल डिक्री राशि में से 4,31,512 रुपए तथा ब्याज राशि में से 319475 रुपए मदयून पर बकाया रहे। मूल डिक्री राशि की शेष 50 प्रतिशत राशि 4,31,512/– चार लाख इकत्तीस हजार पांच सौ बारह रुपये एवं उस पर दिनांक 11.04.2021 से दिनांक 11.10.2024 तक 282 माह की 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज राशि 18,25,295/– अठारह लाख पच्चीस हजार दो सौ पिचानवे रुपये एवं पिछली बकाया 50 प्रतिशत ब्याज राशि की ब्याज राशि में से 319475/ तीन लाख उन्नीस हजार चार सौ पिचहत्तर रुपये कुल राशि 25.76.282/– पच्चीस लाख छियेत्तर हजार दो सौ बयासी रुपये मदयून पर बकाया रहे। इस प्रकार उक्त बकाया राशि 25,76,282/– पच्चीस लाख छियेत्तर हजार दो सौ बयासी रुपये के बजाय मात्र 7,49,987/– रुपये सात लाख उनचांस हजार नौ सौ सतासी रुपये की डी डी मदयून द्वारा न्यायालय में जमा कराया गया है। अतः निवेदन किया कि मदयून पर बकाया राशि 25,76,282/– पच्चीस लाख छियेत्तर हजार दो सौ बयासी रुपये मदयून से दिलाए जावे तथा उक्त राशि में से प्रार्थी डिक्रीदार को उसके हिस्से की 1/3 राशि प्रदान की जावे। उक्त राशि न देने पर मदयून की चल व अचल सम्पत्ति को कुर्क कर नीलाम किया जाकर डिक्री की हकरसी की जावे।

जिस पर मद्यून की ओर से श्री डी.के. गुप्ता अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजाखेड़ा द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि उक्त उनवानी प्रकरण में डिक्रीदार राशि 15,01,974 रूपये की वसूली हेतु उक्त उनवानी इजराय न्यायालय में पेश की गई थी जो कि मूल डिक्री राशि 8,63,024/– एवं उस पर देय 18 प्रतिशत ब्याज राशि दिनांक 20.04.1986 से दिनांक 30.05.1987 तक 18 प्रतिशत की दर से ब्याज राशि 36933/रु. एवं दिनांक 30.05.1987 से 10.04.2001 तक 18 प्रतिशत की दर से ब्याज राशि 5,99,317 रुपये इस प्रकार कुल राशि 15.01.974/– रुपये वसूली हेतु इजराय न्यायालय में पेश की गई जो सही है। उक्त राशि में से आधी राशि मदयून द्वारा 7,50,987/– जरिये चैक राशि 5.74.754/– दिनांक 11.10.2001 को न्यायालय में पूर्व में जमा करा दी गई। जो कि डिक्री राशि 8,63,024/– रुपये में से 50 प्रतिशत राशि 4,31,512/– तथा ब्याज राशि 6. 38,950/– रुपये में से 50 प्रतिशत मदयून पर 3,19,475/– रुपये इस प्रकार 431512+319475–750987 रुपये तथा मूल डिक्री राशि में से 4,31,512/– तथा ब्याज राशि में से 3,19,475/– रुपये पर मदयून पर बकाया रहे जो सही है। मूल डिक्री राशि की शेष 50 प्रतिशित राशि 4,31,512/– एवं उस पर दिनांक 11.04.2001 से दिनांक 06.07.2023 (द्वितीय डी.डी. जमा) तक 266 माह 25 दिवस की 18 प्रतिशत की दर से ब्याज राशि 17,27,118/– रुपये एवं पिछली बकाया 50 प्रतिशत ब्याज राशि की ब्याज

09/10/2025
जिला न्यायाधीश

राशि में से 3,19,475/– रुपये कुल राशि 24.78.105/– रुपये मदयून पर बकाया रहे। उक्त बकाया राशि 24.78,105/– रुपये में से 7,49.987/– रुपये की डी.डी. मदयून द्वारा न्यायालय में जमा कराई जा चुकी है। शेष राशि 17,28,118/– रुपये ही बकाया रहती है। परन्तु माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीत जयपुर में निर्णय दिनांक 07.09.2022 को विभाग की एसबीसीएमए अपील संख्या 1471/2001 खारिज की गई थी। उपरोक्त निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ब्याज भुगतान सम्बन्धी किसी प्रकार का निर्णय नहीं दिया गया था। इस कारण दिनांक 06.07.2023 को पूर्ण विवरण सहित माननीय न्यायालय में प्रस्तुत डी.डी. संख्या 156156 दिनांक 29.04.2023 में ब्याज की गणना नहीं की गई थी एवं दिनांक 06.07.2023 को राशि 7,49. 987/– रुपये डी.डी के माध्यम से माननीय न्यायालय में जमा कराई गई। अतः निवेदन किया कि चूंकि प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन रहा है। अतः अवधि की ब्याज राशि वसूलना न्यायोचित नहीं रहता है। अतः निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन अवधि की ब्याज राशि माफ किया जाना राजहित में रहेगा।

उक्त इजराय प्रकरण पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में डिक्रीदार का यह कथन है कि मूल डिक्री राशि की शेष 50 प्रतिशत राशि 4,31,512/– चार लाख इकत्तीस हजार पांच सौ बारह रुपये एवं उस पर दिनांक 11.04.2021 से दिनांक 11.10.2024 तक 282 माह की 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज राशि 18,25,295/– अठारह लाख पच्चीस हजार दो सौ पिचानवे रुपये एवं पिछली बकाया 50 प्रतिशत ब्याज राशि की ब्याज राशि में से 319475/ तीन लाख उन्नीस हजार चार सौ पिचहत्तर रुपये कुल राशि 25.76.282/– पच्चीस लाख छियेत्तर हजार दो सौ बयासी रुपये मदयून पर बकाया रहते हैं। जिसके खण्डन में अधिवक्ता मद्यून का यह कथन है कि बकाया राशि 24.78,105/– रुपये में से 7,49.987/– रुपये की डी.डी. मदयून द्वारा न्यायालय में जमा कराई जा चुकी है। शेष राशि 17,28,118/– रुपये ही बकाया रहती है। इस प्रकार मद्यून ने 24,78,105/– रुपये में से 7,49.987/– रूपये जमा करा दिया जाना बताया है व 17,28,118/– रुपये ही बकाया रहना बताया है जिस पर ब्याज माफ किये जाने का निवेदन किया है।

इस प्रकार डिकीदार 431,512/'रूपये एवं उस पर दिनांक ***11.04.2021*** से 11.10.24 तक 282 माह की 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज राशि 18,25,295/–रूपये एवं पिछली बकाया 50 प्रतिशत राशि की ब्याज राशि में से 319,475/–रूपये कुल राशि 25,76,282/–रूपये बकाया रहना बताया है जबकि मद्यून द्वारा मात्र 17,28,118/– रुपये ही बकाया रहना बताया गया है।

इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने पर डिकीदार की 50 प्रतिशत बकाया राशि 4,31,512/–रूपये होना प्रकट होता है।

09/10/2024

जिला न्यायाधीश
धौलपुर (राज0)

जहां तक ब्याज माफी का प्रश्न है माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा ब्याज माफ किये जाने के संबंध में कोई आदेश नहीं किया है। अतः ब्याज माफ किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

इसके अतिरिक्त प्रकरण में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि स्वयं मद्यून की ओर से अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजाखेड़ा ने भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए डिक्रीदार को राशि जमा कराने की स्वीकारोक्ति दी है व यह कथन किया है कि चूंकि प्रकरण सचिवालय स्तर पर लम्बित है अतः उन्हें राशि जमा कराये जाने हेतु समय दिया जावे।

पत्रावली का अवलोकन करने पर डिक्रीदार द्वारा बतायी गयी शेष 50 प्रतिशत राशि 431,512/'रूपये एवं उस पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज एक वर्ष की 77,672.16/–रूपये होती है इस प्रकार दिनांक **11.04.2001** से 08.10.25 तक 294 माह तक 18 प्रतिशत ब्याज राशि 19,02,978.92/–रूपये होती है। इस प्रकार मूल पचास प्रतिशत राशि 431512/ + 19,02,978.92 = 23,34,490.92/–रूपये अर्थात् कुल 23,34,491/–रूपये होते हैं। जो डिक्रीदार मद्यून से प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः यह इजराय प्रकरण निस्तारित करते हुए मद्यून को आदेशित किया जाता है कि वह डिक्रीदारान कृष्ण कुमार अग्रवाल, मोहन लाल अग्रवाल, रमेश चन्द्र अग्रवाल को 23,34,491/–रूपये प्रत्येक का बराबर बराबर 1/3 हिस्सा करते हुए अदा करे।

मद्यून की ओर से 07,49,987/–रूपये का डी डी जमा कराने के लिए समय चाहा है।

अतः मद्यून आगामी पेशी पर इजराय में निस्तारित राशि 23,34,491/–रूपये व 07,49,987/–रूपये का डी डी न्यायालय में जमा करे जो डिक्रीदारान को अदा किये जावें।

पत्रावली वास्ते देखने पालना रिपोर्ट दिनांक 13.10.25 को पेश हो।

09/10/2025

जिला न्यायाधीश
धौलपुर (राज0)